न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी : सरोज ढाका, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 70 / 17

1. केसरीलाल
2. कलावती
3. सीता बाई

पिसरान स्व. हेमराज जी, जरिये मुख्तार आम मोहनलाल आत्मज हेमराज, जाति बंजारा, निवासी खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. विनोद कुमार
2. प्रमोद कुमार

पिसरान श्री पुरूषोत्तम जी, जाति मीणा, निवासीगण एम.पी.बी.–80, महावीर नगर–प्रथम, कोटा

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक : 30.05.2019

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए, 188 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

वादीगण के पिता स्व. हेमराज आत्मज नोलाजी, जाति बंजारा, निवासी जगपुरा की गैरखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर, बारानी दोयम वाके ग्राम उम्मेदपुरा, पटवार हल्का लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है। उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का इंतकाल नम्बर 87 दिनांक 01.09.1998 ग्राम उम्मेदपुरा की उक्त भूमि समस्या समाधान शिविर, केबलनगर, में तस्दीक कियागया था। उस समय उक्त विवादित भूमि वादीगण के पिता श्री गैरखातेदारी में दर्ज थी। इंतकाल नम्बर 138 दिनांक 10.12.2001 के आदेशानुसार उक्त भूमि पर वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज की गई थी, जिस समय वादीगण नाबालिग थे, जिसका अंकन उक्त इंतकाल के कॉलम नं. 7 में अंकित है तथा उक्त भूमि हमारे कब्जे काश्त में चली आ रही है। नाबालिग की वली माता की मृत्यु दिनांक 19.02.2010 को ग्राम जगपुरा में हो चुकी है और सन्तोष बाई जो वादीगण की बहिन थी, वह अरसा 5 वर्षो से लापता हो चुकी है और वादीगण को अपनी बहिन सन्तोष बाई से कोई अनुतोष नहीं चाहिये इसलिये उसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त भूमि पर वादीगण की वली माता मन्नी बाई ने नाबालिग की भूमि को इंतकाल नम्बर 147 दिनांक 28.06.2002 वाके ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा की भूमि आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर, बारानी द्वितीय को

Scanned by CamScanner

जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 2 लाख 50 हजार रूपये में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को गलत तरीके से उक्त भूमि का विक्रय पत्र आलेखित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है और उक्त भूमि जो नाबालिग के खातेदारी में दर्ज थी, उसका बेचान गलत है क्योंकि भारतीय व्यस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति व्यस्क हो जाता है और 18 वर्ष से कम आयु वाला "अव्यस्क" (नाबालिग) माना जाता है। अव्यस्कों के हितों की रक्षा करना राज्य व न्यायालय दोनों का कर्तव्य है। जैसा कि उक्त भूमि के बाबत विक्रय पत्र का इन्तकाल नं. 147 में उल्लेखित कॉलम नम्बर 7 में वादीगण नाबालिग दर्ज है, जिसका गलत तरीके से उनकी वली माता उक्त आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर भूमि का विक्रय प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को किया गया है, वह अवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से प्रभावशील नहीं है क्योंकि अव्यस्क की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अगर ऐसे करार किसी व्यक्ति द्वारा किये गये है या विक्रय किये गये है तो वह आर्डर 32 नियम 7 के आधार पर अवैध व शून्य है और नाबालिग की खातेदारी की भूमि को बिना सक्षम न्यायालय की इजाजत के बेचान प्राकृतिक संरक्षक पिता अथवा माता द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसलिये उक्त इंतकाल नं. 147 दिनांक 28.06.2002 वाके ग्राम उम्मेदपुरा आराजीयात खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर का प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को भूमि पर राजस्व रिकार्ड में इंतकाल तस्दीक कर राजस्व प्रविष्ठियों के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है, वह गलत है और बिना क्षेत्राधिकार के पारित तहसीलदार, मण्डाना द्वारा जो नामान्तरकरण तस्दीक किये है, वह नामान्तरकरण आरम्भ से ही शून्य व अवैध है। इसी तरह से वादीगण की माता मन्नी बाई द्वारा जो प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पक्ष में विक्रय पत्र आलेखित किया गया है, वह न तो न्यायालय की अनुमति से किये गये है और न ही कानूनी प्रक्रिया के तहत भूमि का बेचान किया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को अवैध व शून्य इंतकाल के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है, केवल मात्र इंतकाल तस्दीक होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है, इंतकाल मात्र समरी प्रोसीडिंग्स है, इसमें स्वत्व व टाईटल का निर्धारण नहीं होता है। यदि अवैध व शून्य नामान्तरण के आधार पर वादीगण की माता के द्वारा नाबालिग की भूमि का अन्तरण किया भी गया है तो कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। वादीगण उक्त आराजीयात को दुरूस्तीकरण किये जाने हेतु उक्त भूमि के बाबत नियमित वाद राजस्व न्यायालय में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये वादीगण की जानकारी व व्यस्क होने के बाद माननीय न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं रजिस्ट्रीकृत विक्रय पत्र पर आधारित राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टियों को रद्द करने हेतु राजस्व न्यायालय को उक्त वाद सुनने का अधिकार प्राप्त है क्योंकि उक्त वाद में अनुतोष अधिकारों की घोषणा का है और विक्रय पत्र पर आधारित प्रविष्टियों को रद्द करने हेतु राजस्व न्यायालय को उक्त वाद सुनने का अधिकार है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को उक्त भूमि का विक्रय किया गया है और उक्त आराजी उसके खाते में दर्ज होने से उसको उक्त वाद में पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पिता हेमराज आत्मज नोलाजी की खातेदारी को गलत तरीके से उनकी बेवा मन्नी बाई ने जो विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व प्रविष्टियों में अंकन प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पक्ष में तस्दीक किया गया है, उसको विलोपित करते हुये भूमि आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर बारानी दोयम वाके ग्राम उम्मेदपुरा, पटवार हल्का लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

3. वादी वकील द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज पेश किये गये है :—

Scanned by CamScanner

दर्श–1 ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर की नकल जमाबन्दी संवत 2070–2073।

प्रदर्श–2 ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर की नकल जमाबन्दी। संवत 2054–2057

प्रदर्श–3 ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर की नामान्तरकरण संख्या 87 दिनांक 01.09.1998 की नामान्तरकरण पंजिका।

प्रदर्श–4 ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर की नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 10.12.2001 की नामान्तरकरण पंजिका।

प्रदर्श–5 ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर की नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 09.05.2002 की नामान्तरकरण पंजिका।

प्रदर्श–6 ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर की नकल जमाबन्दी संवत 2058–2061।

प्रदर्श–6ए नोटरी पब्लिक से प्रमाणित मुख्तारनामा आम दिनांक 07.09.2017।

4. प्रकरण में पत्रावली के बहस अन्तिम में आने पर वादी वकील की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण के पिता की मृत्यु के समय वादीगण अव्यस्क थे, जिनकी संरक्षक खुद उनकी माता मन्नीबाई थी। उनके पिता की मृत्युपरान्त इंतकाल नं. 87 दिनांक 01.09.1998 से उनके नामा नामान्तरकरण खोला गया तथा इंतकाल नं. 138 दिनांक 10.12.2001 से प्रकरण की विवादित आराजी को खातेदारी में दर्ज किया गया। इंतकाल नं. 147 दिनांक 09.05.2002 से वादीगण की सरपरस्त माता द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बेचान कर दिया। इस सम्बन्ध में भारतीय व्यस्कता अधिनियम, 1875 एवं हिन्दू अल्पव्यस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 11 में भी अव्यस्क की सम्पत्ति को खुर्द बुर्द किया जाना प्रतिबन्धित है। इस प्रकार वादीगण की अव्यस्कता में उनकी माता द्वारा किया गया विक्रय प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है। अतः ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें। वादी वकील द्वारा लिखित बहस पेश की गई तथा माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों की निम्न नजीरें पेश की गई है – 1- RRD 1990 Page # 41-44
2- RRD 1989 Page # 45-47
3- RRD 1994 Page # 606-607
4- RRD 1982 Page # 299-301

5. हमने वादी वकील की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा Section 60 of limitation Act के अनुसार निर्धारित वाद पेश करने की अवधि समाप्त होने के पश्चात अपना वाद पेश किया है। साथ ही वादीगण द्वारा अपना वाद इस आधार पर पेश किया गया है कि दौराने बेचान आराजी वे नाबालिग थे। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि नाबालिग की वली उनकी प्राकृतिक माता स्वयं मन्नीबाई थी। साथ ही नाबालिग, कब बालिग हुये, इसका सम्पूर्ण वाद में कहीं भी स्पष्ट अंकन नहीं है। वादी वकील का यह भी तर्क रहा कि उनका वाद विक्रय पत्र को निरस्त कराने का न होकर

Scanned by CamScanner

विक्रय पत्र को प्रभावशून्य कराये जाने का है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि विक्रय पत्र पंजीकृत है तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पति है तो भी कर्ता खानदान पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए पैतृक सम्पति का हस्तान्तरण/बेचान कर सकता है। विवादित भूमि का बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र से किया गया है और उस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खुलकर राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। वादी का यह कथन है कि विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य था किन्तु इस प्रकरण में संयुक्त परिवार की भूमि नाबालिग पुत्रों के अविभाजित हिस्से का बेचान उनकी माता द्वारा किये जाने की स्थिति है और प्रकरण के तथ्यों से यह भी प्रकट होता है कि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मन्नीबाई ने भूमि का बेचान किया, उस वक्त वह परिवार की कर्ता खानदान थी। कर्ता खानदान की स्थिति में उसे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बेचान का अधिकार था। यह स्थिति ऐसी है जो कि विक्रय पत्र के एव इनशियो वॉइड की स्थिति नहीं है अपितु शून्यकरणीय स्थिति प्रतीत होती है। ऐसे विक्रय पत्र को एव इनिशियो वोइड नहीं माना जाकर वोइडेवल माना जाता है एवं शून्यकरणीय व वायडेबल विक्रयपत्र के मामले में सिविल न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार बनता है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र वर्तमान तक अस्तित्व में है, उसे किसी सिविल न्यायालय द्वारा शून्यकरणीय घोषित नहीं किया गया है। पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालयों को है, राजस्व न्यायालयों को नहीं।

6. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि कि Section 60 of limitation Act के अनुसार वाद पेश करने की अवधि समाप्त होने तथा विवादित आराजी के पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्यकरणीय घोषित किये बिना वादीगण को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालयों को है, राजस्व न्यायालयों को नहीं। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त भी यही है कि अन्य समस्त बिन्दु पक्ष में होने के बावजूद भी क्षेत्राधिकार का बिन्दु सर्वोपरि जिसे किसी भीस्तर पर नकारा नहीं जा सकता है। अतः प्रकरण का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय का नहीं होने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सरोज ढाका) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी – सरोज ढाका, R.A.S.

बउनवान :–

1. केसरीलाल
2. कलावती
3. सीता बाई

पिसरान स्व. हेमराज जी, जरिये मुख्तार आम मोहनलाल आत्मज हेमराज, जाति बंजारा, निवासी खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (वादीगण)

बनाम

1. विनोद कुमार
2. प्रमोद कुमार

पिसरान श्री पुरूषोत्तम जी, जाति मीणा, निवासीगण एम.पी.बी.–80, महावीर नगर–प्रथम, कोटा

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 92A, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 72 / 17
निर्णय दिनांक : 30-05-2019

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 30–05–2019 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री सरोज ढाका, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि Section 60 of limitation Act के अनुसार वाद पेश करने की अवधि समाप्त होने तथा विवादित आराजी के पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्यकरणीय घोषित किये बिना वादीगण को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालयों को है, राजस्व न्यायालयों को नहीं। अतः प्रकरण का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय का नहीं होने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 30.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सरोज ढाका) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

Scanned by CamScanner